सीजीएसटी लुधियाना कमिश्नरेट ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में 8.5% राजस्व वृद्धि दर्ज की, 9,000 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार किया

लुधियाना, 1 अप्रैल 2026: सेंट्रल सीजीएसटी कमिश्नरेट लुधियाना ने कर प्रशासन में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर हासिल किया है, वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए मजबूत जीएसटी राजस्व (कैश) संग्रह 9,015 करोड़ रुपये की रिपोर्टिंग की है। यह उपलब्धि पिछले वित्तीय वर्ष (वित्तीय वर्ष 2024-25) में एकत्रित 8,311 करोड़ रुपये की तुलना में लगभग 8.50% की वृद्धि को दर्शाती है।

राजस्व में उछाल के साथ-साथ, कमिश्नरेट ने अपने करदाता आधार में भी पर्याप्त विस्तार देखा है, जो अब 1.34 लाख पर खड़ा है। यह वित्तीय वर्ष 2024-25 में दर्ज करदाता आधार से प्रभावशाली 10% की वृद्धि को चिह्नित करता है। चूंकि जीएसटी व्यवस्था का मूलभूत आधार स्व-मूल्यांकन पर भारी निर्भर करता है, राजस्व संग्रह और करदाता पंजीकरण दोनों में यह दोहरी वृद्धि क्षेत्र में बढ़ी हुई स्वैच्छिक अनुपालन और आर्थिक औपचारिकीकरण की मजबूत प्रतिबिंब है।

सभी वास्तविक और ईमानदार करदाताओं के लिए समान अवसर क्षेत्र सुनिश्चित करने के लिए, सेंट्रल सीजीएसटी कमिश्नरेट लुधियाना ने पूरे वित्तीय वर्ष भर सख्त प्रवर्तन और कर चोरी-रोधी कार्रवाइयों का सक्रिय रूप से पीछा किया है।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, कुल 296 मामले बुक किए गए जिनमें अनुमानित जीएसटी चोरी मूल्य लगभग 1662 करोड़ रुपये का शामिल है। यह पिछले वित्तीय वर्ष में बुक की गई चोरी के आंकड़ों की तुलना में लगभग 700% की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज करता है। परिणामस्वरूप, जीएसटी कानूनों के प्रावधानों के तहत जीएसटी चोरी में शामिल 20 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। इन अपराधियों के खिलाफ आपराधिक अभियोजन भी शुरू किए गए हैं। कमिश्नरेट ने इस वित्तीय वर्ष में लगभग 106 करोड़ रुपये की वसूली की है जो पिछले वित्तीय वर्ष से 39% अधिक है। राजस्व हितों की रक्षा के लिए, विभाग ने कानून के अनुसार संपत्तियों के अस्थायी संलग्नक जैसी सक्रिय उपायों का सक्रिय रूप से पीछा किया है।

सकारात्मक वृद्धि और सफल प्रवर्तन अभियानों के बावजूद, कमिश्नरेट स्वीकार करता है कि अयोग्य या नकली इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का उत्पादन और उपयोग एक लगातार खतरा बना हुआ है। नकली बिलों की ताकत पर संचालित होने वाली नकली और डमी फर्में–वास्तविक भौतिक आपूर्ति या वस्तुओं की प्राप्ति के बिना–चुनौतियां पेश करती रहती हैं। कमिश्नरेट उन्नत विश्लेषणात्मक उपकरणों और लक्षित सतर्कता के साथ इन धोखाधड़ी गतिविधियों का व्यवस्थित रूप से समाधान कर रहा है ताकि राजस्व रिसाव को सख्ती से रोका जा सके।

भारत सरकार के "विकसित भारत" के दृष्टिकोण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को पुनःस्थापित करते हुए, लुधियाना सेंट्रल जीएसटी कमिश्नरेट कर प्रवर्तन के साथ व्यापार सुविधा को प्राथमिकता देता है। कमिश्नरेट पंजाब भर के प्रमुख व्यापार और उद्योग निकायों के प्रतिनिधियों के साथ-साथ व्यापार संघों के साथ नियमित बैठकें आयोजित करके करदाताओं के साथ सक्रिय संपर्क जारी रखता है। ये सहयोगी प्रयास शिकायतों का तत्काल समाधान करने, प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने और अत्यधिक सहायक, करदाता-अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देने का उद्देश्य रखते हैं।

****